

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, 13 मई, 2011

अधिसूचना
[आय-कर]

का.आ. ¹⁰⁴⁶(अ).- केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 6 के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ.2091 (अ) तारीख 26 अगस्त, 2010 को अधिक्रान्त करते हुए, उक्त खंड में यथाविनिर्दिष्ट दर 9.5 प्रतिशत नियत करती है जो 1 सितंबर, 2010 से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना सं० 24/2011/फा.सं० 142/14/2010-एसओ(टीपीएल)]

(विवेक आनंद ओझा)
अवर सचिव, भारत सरकार